

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2185
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)

बेरोजगारी दर को कम करना

2185 # श्री नीरज डांगी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या से संबंधित कोई आँकड़े उपलब्ध हैं;
- (ग) क्या रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पलायन करने वाले युवाओं के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी है, यदि हाँ, तो विशेषकर राजस्थान राज्य सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा भविष्य में युवाओं में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या ठोस कार्यनीति अपनाई जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3% से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार]।

(ग): कामगारों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास सतत प्रक्रिया है तथा ये प्रकृति में गतिशील है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके रोजगार के अवसर सृजित करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, ताकि लोगों को अपने राज्य में ही रहने, आजीविका कमाने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निवास स्थान के निकट रहने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ): युवाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।